राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–718/2017

हरिभजन मीना

–अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर (भू–अभिलेख), सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.04.2017
आदेश की दिनांक : 22.08.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में आदेश दिनांक 12.11.2013 (अनुलग्नक–2) एवं आदेश दिनांक 15.07.2015 (अनुलग्नक–3) को चुनौती दी है। अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि को चूनौती आदेश दिनांक 12.11.2013 के द्वारा 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ इस आधार पर दिनांक 21.07.1992 के स्थान पर तीन वर्ष पश्चात दिनांक 21.07.1995 को दिया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 21.07.1992 तक तीन दंड है और अपीलार्थी को जो तीन वर्ष पश्चात चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है, वह अनुचित व अवैद्ध है, क्योंकि अपीलार्थी को सेवाकाल में 21.07.1983 से 21.07.1992 के मध्य केवल एक दंड था, इस आधार पर अधिकतम एक वर्ष पश्चात चयनित वेतनमान का लाभ 21.07.1992 के स्थान पर 21.07.1993 से दिया जाना चाहिए था। अतः 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का आदेश दिनांक 12.11.2013 को इस सीमा तक संशोधित किया जावे। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ अनुचित रूप से 21.07.1995 से 9 वर्ष की सेवा की गणना करते हुए दिनांक 21.07.2004 से देय मानते हुए और इस मध्य दो दंड होने के आधार पर दो वर्ष पश्चात अर्थात् दिनांक 21.07.2006 से द्वितीय चयनित वेतनमान देने के आदेश पारित किये गये जो अनुचित, अवैद्ध व विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 21.07.1983 है और उसकी चयनित वेतनमान में सेवा की गणना 21.07.1983 से होगी। इस आधार पर अपीलार्थी की 18 वर्षीय सेवा 21.07.2001

को पूर्ण होती है और इसके मध्य दो दंड होने के आधार पर उक्त लाभ दिनांक 21.07.2003 से देय है, जबकि अनुचित रूप से अपीलार्थी को उक्त लाभ दिनांक 21.07.2006 से दिया गया है जो कि प्रारम्भ से ही अनुचित, अवैद्व व विधि विरूद्व है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त आदेश संशोधित कर लाभ 21.07.2006 के स्थान पर दिनांक 21.07.2003 से दिया जाये।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी हरिभजन मीना के स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने, आदेशों की अवहेलना करने व अनुशासनहीनता के आरोप में जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक 6794–99 दिनांक 01.06.1987 से तीन वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया व अनुपस्थित काल को कर्तव्य से अनुपस्थित माना। उक्त निर्णय की अपील में संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा के द्वारा निर्णय दिनांक 26.03.1990 के अनुसार अनुपस्थित अवधि का नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करने एवं तीन वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड यथावत रखने का निर्णय दिया गया, जिसकी अपील में महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश दिनांक 20.01.1993 के द्वारा तीन वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश दिये गये। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 15.03.2001 के द्वारा एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के स्थान पर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया। उनका आगे तर्क है कि उप जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी द्वारा अपीलार्थी हरिभजन मीना के दिनांक 21.05.1982 से दिनांक 21.10.1982 तक अनुपस्थित रहने के कारण आदेश क्रमांक 1109 दिनांक 20.11.1984 से परिनिन्दा का दण्ड दिया गया। उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक 972–73 दिनांक 26.10.1985 को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान में प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक 21.07.1983 (जो माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 06.09.2012 में उल्लेखित है) से गणना करते हुए 9 वर्ष पूर्ण होने की तिथि दिनांक 21.07.1992 के मध्य तीन दण्ड पृथक–पृथक आदेशों एवं पृथक–पृथक निर्णयकर्ता अधिकारियों के आदेश होने से नियमानुसार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 20(1)एफ.डी./(ग्रुप–2) 1992 दिनांक 25.01.1992 व समसंख्यक आदेश दिनांक 22.11.1993 अनुसार तीन दण्डों का प्रभाव डालते हुए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 10869 दिनांक 12.11.1993 द्वारा दिनांक 21.07.1995 से 9 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत

किया गया है जो नियमानुसार सही है। अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान की गणना नियमानुसार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.20(1)एफ. डी./(ग्रुप–2) 1992 दिनांक 25.01.1992 व समसंख्यक आदेश दिनांक 22.11.1993 अनुसार कार्यालय के आदेश क्रमांक 4983 दिनांक 15.07.2015 द्वारा 9 वर्षीय स्वीकृत की चयनित वेतनमान की तिथि दिनांक 21.07.1995 से गणना करते हुए देय तिथि दिनांक 21.07.2004 के मध्य दो दण्ड होने के कारण 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 21.07.2006 से स्वीकृत किया गया है जो नियमानुसार सही है। अपीलार्थी को जो दण्ड दिये गये थे, वे दिनांक 19.11.1999 से दिनांक 22.11.1999 तक अपने वृत्त से स्वेच्छापूर्वक बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहने व ग्राम अमावरा गढ में अचानक विस्फोट हो जाने पर भी घटनास्थल पर नही पहुंचने के आरोप में दोषी पाये जाने पर जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक 1150–59 दिनांक 24.02.2001 से एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने व निलम्बन अवधि में तत्समय देय वेतन भत्तों की दर पर भुगतान किये गये निर्वाह भत्तों की राशि को समायोजित करते हुए वेतन भत्तों के रूप में मिलने वाली राशि में से 95 प्रतिशत राशि निर्वाह भत्ता के रूप में भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी। उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक 972–73 दिनांक 26.10.1995 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार 18 वषीय चयनित वेतनमान दिया गया।

3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन कर मनन किया।

4. अपीलार्थी ने अपने प्रथम चयनित वेतनमान के आदेश दिनांक 12.11.2013 को चुनौती दी है, जिसमें अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, परंतु उक्त आदेश में यह माना गया है कि अपीलार्थी को दिनांक 21.07.1983 से 21.07.1992 के मध्य तीन दण्ड के प्रभाव से 21.07.1992 के स्थान पर 21.07.1995 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया जायें। इस संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के सेवाकाल दिनांक 21.07.1983 से 21.07.1992 के मध्य केवल एक दण्ड था, इस कारण से अधिकतम एक वर्ष के लिए चयनित वेतनमान का लाभ आगे किया जा सकता था। जबकि इस अवधि में तीन दण्ड होना माना गया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में इस अवधि के मध्य एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड एवं दो परिनिन्दा

के दण्ड वर्ष 1984 एवं 1985 में होना बताया है। अपीलार्थी ने स्वयं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान के संबंध में दो दण्ड होना बताया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि परिनिन्दा के दण्ड का प्रभाव चयनित वेतनमान के लाभ पर नहीं डाला जा सकता है।

5. यह सही है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.07.2006 में एक परिनिंदा के दण्ड हेतु एक बार पदोन्नति से वंचित रखने की व्यवस्था है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक न्याय निर्णयों में परिनिंदा के दण्ड के आधार पर चयनित वेतनमान को रोकने या विलंब करने का उचित नहीं माना है। जिला कलक्टर (एलआर) टोंक बनाम विजय कुमार अरोडा एवं अन्य (डीबी सिविल स्पेशल अपील (रिट) नंबर 08926/2009) में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2010 में यह निर्णित किया हैः—

> "2. On merits otherwise also, we find that the learned Single Judge in allowing the writ petition found that on account of mere penalty of censure, benefit of second selection scale could not be denied or delayed to the respondent, who was Patwari and for grant of second selection scale to him, 25 he did not require any special skill and such benefit was admissible soon on completion of period of 18 years of service if within the last span of last 9 years, he was not granted promotion. Learned Single Judge in allowing the writ petition has relied on Division Bench judgment of this Court in Dev Singh Vs. State of Rajasthan & Ors. (D.B. Civil Special Appeal No.350/2000 reported in WLN UC 2004 327).
>
> 3. Impugned judgment, even otherwise, does not suffer from any infirmity so as to warrant our interference.
>
> 4. This special appeal is therefore, dismissed."

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के दृष्टिगत हमारा मानना हैं कि परिनिन्दा के दण्ड के आधार पर चयनित वेतनमान के लाभ में विलम्ब किया जाना नियमानुसार सही नहीं है।

7. अपीलार्थी को जो 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ तीन वर्ष पश्चात दिनांक 21.07.1995 से दिया गया है, उसमें दो परिनिन्दा के दण्ड का प्रभाव डालते हुए देय लाभ को तीन वर्ष आगे किया गया है, जो केवल एक वर्ष आगे किया जा सकता था। अतः अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 21.07.1995 के स्थान पर दिनांक 21.07.1993 से दिया जाना चाहिए था।

अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति की दिनांक 21.07.1983 से 18 वर्ष पश्चात 21.07.2001 से देय था, जिसमें दो दण्ड का प्रभाव ही डाला जा सकता था। अतः अपीलार्थी ने द्वितीय चयनित वेतनमान के लाभ पर दो दण्ड का प्रभाव डालते हुए दिनांक 21.07.2003 से लाभ देय होना माना है और इस हद तक आदेश संशोधित किये जाने की प्रार्थना की है।

8. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 21.07.1993 से एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 21.07.2003 से दिया जाये और आलोच्य आदेशों को इस संबंध तक संशोधित कर अपीलार्थी के संबंध में आदेश पारित किया जायें। अपीलार्थी को एरियर की राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज राशि का भुगतान भी किया जाये। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को पेंशन पर पारिणामिक लाभ भी प्रदान किया जाये।

9. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)